न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 56/2023 अन्तर्गत धारा 183, 188, 91 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मानाराम पुत्र हरचंदराम 2. मेहराराम पुत्र हरचंदराम 3. इमियोदेवी पत्नी हरचंदराम फौत 4. रावता पुत्र लक्षमणा के कायम मुकाम 4.1 खेराजराम पुत्र रावताराम 4.2 चेनाराम पुत्र रावताराम जाति जाट, निवासी बाटाडू हाल निवासी बाटाड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. नीमगिरी पुत्र बस्तगिरी जाति स्वामी, निवासी बाटाड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– वादीगण अधिवक्ता – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 09.07.2025

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा बाटाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 165, 169 रकबा क्रमशः 15.9608, 1.2383 हैक्टेयर के आये हुए है। जिस पर वादीगण का निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। वादीगण की अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाई हुई है। वादीगण की उक्त आराजी के सेढा सेढ ही लगायत डोली जोगमाया की खातेदारी एवं आबादी भूमि आयी हुई है। उक्त सेढा पड़ौसी खसरा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वादीगण के शांतिप्रिय एवं ग्रामीण होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण, वादीगण की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण कर अपना कब्जा पुख्ता करने पर आमादा है। नेखमबंदी के दौरान वादीगण की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाये जाने पर उन्हे कब्जा हटाने हेतु कहा गया तब प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा हटाने से मना कर दिया तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी में जबरदस्ती व बलपूर्वक प्रवेश कर उसे बेदखल करने की धमकियां दी गई। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। नेखमबंदी मौका फर्द मे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में पक्का मकान व बाड़ बनाकर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। उक्त विवादित आराजी के वादीगण रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। अतः वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में किये गये जबरन अतिक्रमण को हटाया जाकर उन्हे बेदखल करते हुए विवादित आराजी का कब्जा वादीगण को दिलवाने तथा वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में की गई नेखमबंदी की मौका फर्द व संलग्न नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 165 व 169 के सभी कोनों पर बिन्दु संख्या A से I निशानात् लगा[illegible]र नीमगिरी पुत्र बस्तगिरी का रहवासी मकान सहित कब्जा पाया गया तथा क[illegible]र विवाद है। वादी संख्या 1 व 4.1 द्वारा अपने वाद के समर्थन में सा[illegible] गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:10:34 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण अधिवक्ता [illegible] अधिवक्ता द्वारा वादप[illegible]थ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर वादीगण की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण क[illegible]ल करते हुए वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये ग[illegible]विधि विरूद्ध अतिक्रमण क[illegible] जाकर जब्त करते हुए कब्जा वादीगण को दिलवाने तथा वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण को हटाकर मौके पर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलवाने का निवेदन किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में की गई नेखमबंदी की मौका फर्द व नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 165 व 169 के सभी कोनों पर बिन्दु संख्या A से I निशानात् लगाये गये, जिसके बिन्दु संख्या G पर नीमगिरी पुत्र बस्तगिरी का रहवासी मकान सहित कब्जा पाया जाना साबित है। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुस्थित रहे है। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप बयान शपथ पत्र पेश किये गये है। अतः उक्त स्थिति में वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया हुआ साबित होने पर वादीगण अपनी खातेदारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के विधिक अधिकारी होने से वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा बाटाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 165, 169 रकबा क्रमशः 15.9608, 1.2383 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश हेतु राजस्व टीम का गठन कर पैमाईश करने हेतु तहसीलदार शिव को निर्देशित किया जाता है, साथ ही विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का अतिक्रमण व कब्जा पाया जाने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाया जाकर बेदखली की कार्यवाही करते हुए कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। आवश्यकता होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त की जावें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:10:34 IST
Reason: SelfAttested